न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र.

निग -1902-PBR-16

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी

कमलसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत,
निवासी–ग्राम कीलोना, तहसील नलखेडा
जिला आगर, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

बलबहादूरसिंह पिता मानसिंह, जाति राजपूत,
निवासी–ग्राम किलोनी, तहसील नलखेडा,
जिला आगर, म.प्र. ....अनावेदक

13-6-16 को

13-6-16

पुनरिक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय नलखेडा, जिला आगर एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 नलखेडा के प्रकरण क्र. 33–अ–12/2015–16 में आदेश दिनांक 10.04.2016 एवं प्रतिवेदन दिनांक 03.05.2016 के विरूद्ध

13/6/16

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन किये बिना आवेदक की भूमि की ओर 0.02 हे. भूमि पर निकलना बता दी। उक्त सीमांकन बिना किसी उचित एवं विधिवत रिकॉर्ड के अवलोकन के बगैर किया गया हैं, इस कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

03. यह कि, राजस्व निरीक्षक व पटवारी मौजा द्वारा सीमांकन के समय न तो विधिवत फिल्डबुक बनाई और न ही आवेदक की भूमि का

XXIX(a)-BR(H)-11

157

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1902-पीबीआर/16 **जिला -** आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	